| | |
|---|---|
| 26/2/2021 | वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली पेश हुई। गैर सायलान की मृत्यु हो चुकी है। पत्रावली बीच दफा 39(2) A व 131 जा० दी० से सम्बन्धित है। अतः गैर सायलान की मृत्यु के बाद बीच चलना का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः पत्रावली कते लेकर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। |

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.03 12:35:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner